

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

कमांक: राजपत्रित / डीपीसी / 2010 / 1755

दिनांक 1.12.10

1. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडीकल कॉलेज एवं सम्बद्ध अस्पताल।
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विषय :- पी. जी. योग्यताधारी चिकित्सको की सूचना के सम्बन्ध मे।

प्रायः यह देखा गया है, कि चिकित्सा अधिकारी पी. जी. डिप्लोमा / डिग्री उर्तीण करने की सूचना निदेशालय मे नही भिजवाते है, जिसके अभाव मे पदोन्नति से वंचित हो जाते है तथा उनसे कनिष्ठ की पदोन्नति होने पर पूर्व के वर्ष से पदोन्नति की माँग करते है, अतः आप आपके अधीन कार्यरत समस्त पी.जी. डिप्लोमा / डिग्री योग्यताधारी चिकित्सको के सेवा विवरण संलग्न प्रोफार्मा मे एवं डिग्री की सत्यापित प्रति चिकित्सक से प्राप्त कर उनके विवरण सेवाभिलेख से सत्यापित कर लौटती डाक से भिजवाने की व्यवस्था करे, यदि प्रमाण-पत्र के अभाव मे चिकित्सक पदोन्नति से वंचित रह जाते है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

कमांक: राजपत्रित / डीपीसी / 2010 / 1755

दिनांक 1.12.10

प्रतिलिपि प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि उपरोक्त संबंधित को ई-मेल द्वारा भिजवाने व विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावे।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सको के सेवा विवरण

1. नाम चिकित्सक :
2. जन्मतिथि :
3. सामान्य/अजा/अजजा :
4. वर्तमान पदस्थापन स्थान :
5. आर.पी.एस.सी. से चयन वर्ष :
6. ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी है तो चयन वर्ष :
7. चिकित्सा अधिकारी के पद पर उपस्थिति तिथि :
8. पी.जी. डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण करने का विषय :
9. पी.जी. डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण करने का वर्ष :
10. 6 माह का स्कील अप ग्रेडेशन प्रशिक्षण : अथवा कोई प्रशिक्षण प्राप्त है तो उसका विवरण

संलग्न: डिग्री/डिप्लोमा की सत्यापित प्रति।

हस्ताक्षर चिकित्सक

प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त सेवा विवरण चिकित्सक के सेवाभिलेख के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर एव मोहर
प्रशासनिक अधिकारी